

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

Bharat Sarkar
Rail Mantralaya

No.E(NG)I-77 PM1/11.

New Delhi, dt: 3-11-1977

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Filling up vacancies of Traffic Apprentices
and Commercial Apprentices.

....

In Board's letter No.E(NG)III-72 RR1/18 dated 18.3.1972 it has been, inter alia, envisaged that 10% of the vacancies of Traffic and Commercial Apprentices should be filled on the basis of limited departmental examination from amongst Class III staff of Commercial and Transportation departments (other than ministerial staff) who are graduates and not over 33 years of age. The Ministry of Railways have now decided that henceforth the above-said upper age-limit shall be 35 years instead of 33 years.

Please acknowledge receipt.

K.N. Kapoor

(K.N. Kapoor)

Dy. Director, Establishment
Railway Board.

Copy to:

E(NG)III, E(Rep)I, II & III, E(P&A)I & II Branches
of Board's Office.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) 1-77 पी एम । / 11

नयी दिल्ली दिनांक-11-77

महाप्रबन्धक,

सभी भारतीय रेलें ।

विषय:- ट्रेफिक अपरेटिंस और कामर्शियल अपरेटिंस की रिलियों की पूर्ति ।

बोर्ड के पत्र सं. ई (एन. जी) 111-72 आर. आर. । / 18 दिनांक 18.3.72 में अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान भी किया गया है कि ट्रेफिक और कामर्शियल अपरेटिंस की रिलियों का 10% कामर्शियल और यातायात विभागों में काम कर रहे (मिलिटिरियल कर्मचारियों को छोड़ कर) 33 वर्ष से कम अवस्था वाले स्नातकों द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाये । रेल मंत्रालय ने अब निर्णय लिया है कि आगे से उक्त ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी ।

कृपया पावती दें ।

के. एन. ठपूर
(के. एन. ठपूर)

उप निदेशक, स्थापना,

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि : ()

बोर्ड के ई (एन. जी) 111, ई (रिप) 1, II और 111 तथा इ (पी. एड ए) ।
तथा II को प्रेषित ।